दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

□ वर्ष 63 □ अंक–24 □ दिल्ली □ सितम्बर (द्वितीय) □ मूल्य : 2 रु.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस पर बधाई और शुभकामनायें

मोदी जी–महान, अद्वितीय, अतुलनीय

• डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

इतिहास में हजारों साल बाद कभी–कभी ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जिनके अद्भुत कार्यों और दृढ़–इच्छा शक्ति के परिणामों के सामने शब्दकोश के शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। आज की तारीख में ऐसी ही एक शख्शीयत हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, जिन्होंने सिर्फ 15 दिनों में विश्व व राष्ट्रीय स्तर पर तीन ऐसे महान कार्य कर दिये जिनकी मिशाल न पहले कहीं मिलेगी और न ही भविष्य में मिलने की आशा की जा सकती है। इन महान कार्यों में पहला विश्वस्तरीय कार्य है चन्द्रयान–2 की चन्द्रमा की ओर सफल रवानगी। दूसरा सामाजिक महान कार्य है जो मोदी जी ने किया है, वह है देश से तीन तलाक प्रथा का खात्मा। तीसरा उनका महान कार्य है जम्मू–कश्मीर राज्य से धारा 370 व धारा 35–ए को सदा के लिए खत्म करके, राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू–कश्मीर व लद्दाख को पृथक–पृथक केन्द्रशासित राज्य बनाना। इससे 70 सालों से देश के लिए सिरदर्द बनी कश्मीर घाटी समस्या का सदा के लिए निपटारा हो गया। ये ऐसी विकट समस्यायें थीं जिनको खत्म करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अदम्य साहस और दृढ़–इच्छाशक्ति का ही कमाल था जिन्होंने बिना किसी संशय, भय, संकोच के संसद (राज्यसभा) में संख्या बल पक्ष में न होते हुए भी निडरता से मुस्लिम समाज में हजारों सालों से चली आ रही तीन तलाक प्रथा की समाप्ति की घोषणा की और उच्च सदन (राज्य सभा) से भी भारी बहुमत से इस तीन तलाक प्रथा की समाप्ति का बिल पास कराया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पखवाड़े के अन्दर इन तीनों घटनाओं की सफलताओं के सामने भारत देश ही नहीं, समूचा विश्व अचम्भित है और इसके लिए वह मोदी जी को बधाई देकर कह रहा है कि मोदी जैसा ना हुआ है और ना होगा। यह मोदी है तो मुमकिन है जिसके सामने विश्व नेता तो नतमस्तक हुए ही हैं, देश की विरोधी राजनीतिक पार्टियां भी मोदी जी के विरुद्ध एकजुट न रह सकीं। यह भी मोदी जी की रणनीति का ही कमाल है जो राज्यसभा में बहुमत नहीं होते हुए भी तीन तलाक प्रथा का निषेध बिल और जम्मू–कश्मीर से 70 सालों से चली आ रही धारा 370 व धारा 35–ए को हटाने सम्बन्धी बिल को संसद के बाद राज्यसभा (उच्च संसद) से पास करा लिया और तुरन्त इस पर राष्ट्रपति जी की मोहर लगवाकर इसे संविधान सम्मत कानून बना दिया।

मोदी जी की सफल उड़ान–चन्द्रयान–2

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में मंगल ग्रह पर भारतीय वैज्ञानिकों ने राकेट भेजा था जिससे मंगल ग्रह के चित्र और अन्य जानकारी भेजी थी।

अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल–2 में भारत ने 21 जुलाई, 2019 को चंद्रयान–2 के सफल प्रक्षेपण को अंजाम देकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगा दी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और देश के दूसरे विज्ञान एवं औद्योगिक संस्थानों के वैज्ञानिकों के अथम परिश्रम का ही परिणाम है कि चंद्रयान–2 मिशन की सफलता ने भारत को दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके यान चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में चंद्रयान–2 का लैंडर चांद की सतह पर उतरने के साथ अमेरिका, रूस औरा चीन के बाद भारत ऐसे उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने हमेशा से अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का लोहा मनवाया है। चंद्रमा शुरु से ही वैज्ञानिकों के लिए गहरी दिलचस्पी और शोध का विषय रहा है। माना जाता है कि धरती की उत्पत्ति से जुड़े रहस्य चांद में छिपे हैं।

दुनिया में अब तक जितने भी अंतरिक्ष मिशन दूसरे ग्रहों की ओर भेजे गए हैं, उनका मकसद ब्रह्मांड

(शेष भाग... पृष्ठ 4 पर)

सम्पादकीय

24 सितम्बर–एक ऐतिहासिक दिन

• डा. सुमनाक्षर

24 सितम्बर, 1932 को भारत रत्न बाबा साहब डा. बी. आर. अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच पूने की जेल में एक समझौता हुआ था। जिसके तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था, और बाबा साहब ने 'कम्यूनल अवार्ड' वापिस ले लिया था। चूंकि यह समझौता पूना में हुआ था, अतः इसे नाम दिया गया 'पूना पैक्ट'। इस समझोते के तहत गांधी जी ने बाबा साहब को वचन दिया था कि वह 10 वर्ष में अस्पृश्यता को मिटाकर अछूत व सवर्णों के बीच ऊंच–नीच की भावना को खत्म कर देंगे, इसके अलावा दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में सभी जगहों पर हिस्सेदारी दी जायेगी । इसको रचनात्मक रूप देने के लिए 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की और 'हरिजन' नाम से हिन्दी व अंग्रेजी में दो समाचार पत्र निकालने शुरू किये। सामाजिक स्तर पर भंगी मुक्ति कार्यक्रम और अन्तर्जातीय विवाह भी प्रारम्भ किये। इस तरह गांधी जी ने सवर्ण हिन्दुओं के दिलों में हरिजनों के प्रति नरम साथ पैदा करने की कोशिश की, पर क्या वे सवर्णों का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब रहे? क्या बाबा साहब को पूना पैक्ट के तहत दिया अपना वचन वे पूरा कर सके? आज भी ये विचारणीय प्रश्न ज्यों का त्यों हमारे सामने मुंह बाये खड़े है।

'कम्यूनल अवार्ड' में ऐसा क्या था जो गांधी जी को अपने 'अमोघ अस्त्र' आमरण अनशन की घोषणा करनी पड़ी? 'कम्यूनल अवार्ड' को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे झांकना होगा। अंग्रेजी सरकार ने देश को आजादी देने पर राय जानने के लिए लन्दन में 1933 में 'राउंड टेबल कान्फ्रेंस' बुलाई थी, उसमें जहां गांधी समेत अन्य भारतीय नेताओं को बुलाया था वहीं दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब डा. अम्बेडकर को भी आमंत्रित किया था। बाबा साहब ने वरतानिया सरकार से साफ– साफ कहा कि वह भारत को जरूर आजाद करें, पर उससे पूर्व वह देश की एक चौथाई अछूतों (दलितों) को भी उन लोगों से आजादी दिलाए जिनको वह सत्ता सौंपने जा रही है, क्योंकि जब तक दलित सवर्णों के गुलाम हैं, तब तक देश की आजादी बेमायने है। 'राउन्ड टेबुल कान्फ्रेंस' में बाबा साहब की इस सच्चाई को गांधी जी लाख प्रयत्न करने पर भी झुठला नहीं सके। इस कान्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजी हकूमत ने दलितों के उत्थान के लिए 17 अगस्त, 1932 को 'कम्युनल अवार्ड' नाम से एक घोषणा–पत्र जारी किया। इसके तहत दलितों को दो प्रमुख अधिकार दिये गये। पहला दलितों की बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में उनके लिए 'आरक्षित क्षेत्र' बनाने का विधान था, दूसरे प्रावधान में दलितों को दो वोट देने का अधिकार था, एक वोट अपने पसन्द के सवर्ण प्रतिनिधियों को चुनने के लिए था और दूसरे वोट से आरक्षित क्षेत्र से 'दलित प्रतिनिधि' को। सत्ता में उचित भागीदारी के लिए दलितों को

(शेष भाग... पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	100/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
मेरे साक्षात्कार–मेरा जीवन संघर्ष	डा. सुमनाक्षर	300/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	100/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	100/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	100/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	100/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	100/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	200/–
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए अग्रिम राशि निम्नलिखित अकादमी के खाते में भेजें

Bharatiya Dalit Sahitya Akademi
A/c No. - 2592101012292 (Canara Bank)
IFSC - CNRB0002592
Branch - Model Town, Delhi

'कम्यूनल अवार्ड' में यह अधिकार दिये गये थे। इससे निश्चित रूप से सवर्णों को दलितों वोटों का महत्व का अहसास होता और वे उसी के लालच में उन्हें उचित तरजीह देना शुरू करते, वहीं दलितों में से भी उनके अच्छे प्रतिनिधि चुनकर विधान सभा या संसद जाते जो उनके विकास, कल्याण और उन्नति की बात सोचते। दलितों की स्थिति में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर इससे काफी बदलाव आता। और शायद दलितों की दशा और स्तर आज वह नहीं होता, जो है।

गांधी जी को 'कम्युनल अवार्ड' में ऐसा क्या नजर आया कि वह घोषणा कर बैठे कि जब तक इसे वापिस नहीं लिया जायेगा, वे अन्न–जल ग्रहण नहीं करेंगे, आज भी हमारी समझ से परे है। इससे पूर्व मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए अंग्रेजी सरकार ने सहूलियतों की घोषणा की, पर कभी भी गांधी जी ने उनका विरोध नहीं किया, फिर अछूतों को दी गई सुविधाओं के मानते में ही वे 'जिद्दी' क्यों हो गये?

गांधी जी सनातनी हिन्दू थे। चतुर्थ वर्ण में अछूतों के होने के कारण वे इन्हें हिन्दुओं का अंग मानते थे। हमें लगता है कि 'कम्युनल अवार्ड' से दलितों को मिलने वाले दो वोटों के अधिकार से उन्हें हिंदुओं से अलग होने का खतरा नजर आ रहा था, दूसरी तरफ वह अछूतों को एकदम दो वोटों की ताकत देने के लिए वह तैयार नहीं थे, तीसरे हिन्दुओं के आजीवन बधुआ 'हरिजन' अंग्रेजों से कोई सहूलियत सीधे क्यों लें। कोई सहूलियत लेनी है तो उसे स्वयं देंगे। चौथा, 'कम्युनल–अवार्ड' से प्राप्त अधिकार बाबा साहब डा. अम्बेडकर का 'राउन्ड टेबुल काम्फ्रेंस' का परिणाम था, और इसका श्रेय सीधा डा. अम्बेडकर को जाता था। गांधी जी इसका सारा श्रेय डा. अम्बेडकर को देकर उन्हें 'नेता' नहीं बनाना चाहते थे। पांचवां, संसद या विधान सभा में दलितों के नुमायन्दे जब उनकी पसन्द से ही चुने जायेंगे, तो फिर सवर्णों को 'चौधराहट' को कौन पूछेगा? इसी लिए गांधी जो किसी भी कीमत पर इस 'कम्युनल अवार्ड' को लागू करने के इच्छुक नहीं थे। इस पर अमल को रोकने के लिए उन्होंने 'आमरण अनशन' की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस छलावे और हिन्दू नेताओं के घटिया प्रचार के दबाव में बाबा साहब डा. अम्बेडकर को आखिर में झुक कर 'कम्युनल अवार्ड' को रुकवाना पड़ा। पर क्या 'पूना–पैक्ट' के समझौते को गांधी जी या उनके अनुयायी अभी तक पूरा कर पाये हैं?

'कम्युनल अवार्ड' को लौटाने की गांधी जी जिद्द को पूरा करने और गांधी जी के आमरण अनशन को खत्म कराने के एवज में बाबा साहब डा. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितम्बर, 1932 को एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत दलितों को चुनावों में उनके वार्ड आरक्षित करने और उनकी आबादी के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व देने, सरकारी शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में भी उनका 'कोटा' आरक्षित करके उन्हें दलित प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने का प्रावधान तय हुआ था। इस तरह दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में जो आरक्षण दिया, वह कोई सवर्णों की ओर से दी जाने वाली भीख नहीं है, वह गांधी जी को जीवनदान देने की एवज में दिया 'करारनामा' समझौता था जिसे 'पूना पैक्ट' कहा गया।

अगर गांधी जी 'कम्यूनल अवार्ड' के खिलाफ आमरण अनशन नहीं करते और उसके द्वारा दलितों को वे सभी सहूलियतें मिल जातीं जो अंग्रेजी सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए दी थीं, तो भारत का इतिहास ही आज बदला नजर आता। देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक स्तर पर दलितों का ही बोलबाला और दबदबा होता, तब बाबा साहब डा. अम्बेडकर को यह नहीं कहना पड़ता कि ''मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी पर मैं हिन्दू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है।'' और उनका यह संकल्प भी 14 अक्तूबर, 1956 को पूरा हुआ जब उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने उस दिन अपना संकल्प पूरा किया। इसके सामने गांधी जी के षड्यंत्र को मात खानी पड़ी।

काश, गांधी जी दलितोत्थान के मार्ग में आमरण अनशन का अंगडा नहीं लगाते, तो डा. अम्बेडकर को भी हिन्दू धर्म छोड़ने की नौबत नहीं आती। कम्यूनल अवार्ड को रुकवा कर गांधी जी ने इसे अपनी जीत माना हो, पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर अपने दलित अनुयायियों के लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता खोल दिया। उन्होंने भारत को बौद्धमय बनाकर अपने को अमर कर लिया। इसी लिए आज चारों ओर जय बोधिसत्व बाबा साहब डा. अम्बेडकर का नाम गूंज रहा है। आज जय भीम, जय संविधान, जय भारत के नारों के साथ बाबा साहब डा. अम्बेडकर अमर हो गये हैं। •

डा. सुमनाक्षर का जन्मदिन 'दलित साहित्य दिवस' के रूप में मनाया जायेगा

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर 6 अक्तूबर, 2025 को 85 वर्ष के हो जायेंगे। उनको जन्मदिन की अग्रिम बधाई और उनके स्वस्थ, सक्रिय जीवन के लिए शुभकामनाएं।

डा. सुमनाक्षर के 85वें जन्मदिवस को भारतीय दलित साहित्य अकादमी की सभी प्रदेश व जिला शाखायें उनके जन्मदिन को गत 2019 से **'दलित साहित्य दिवस'** के रूप में मनाती आ रही है।

अन्य राज्य शाखाओं के साथ ही भारतीय दलित साहित्य अकादमी, राजस्थान प्रदेश शाखा 5 अक्तूबर, 2025 को जेसलमेर में विशेष आयोजन कर रही है। डा. सोहनपाल सुमनाक्षर इस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। अकादमी के राजस्थान शाखा के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. स्वामी आत्माराम उपाध्याय अध्यक्षता करेंगे। श्री भोमाराम बोस और श्री बाबूलाल निर्मल विशेष अतिथि होंगे।

पृष्ठ 1 का शेष...मोदी जी—महान, अद्वितीय, अतुलनीय

के बारे में आंकड़े और तस्वीरें जुटाना रहा है, ताकि सृष्टि के रहस्यों पर से परदा उठ सके। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने पिछले तीन—चार दशकों में जिस तेजी से तरक्की है, चंद्रयान और मंगल मिशन जैसे सफल अभियान उसी का परिणाम हैं। चंद्रयान मिशन भारत का पुराना मिशन रहा है और 2008 में भारत ने जो चंद्रयान—1 चांद की कक्षा में भेजा था, उसी से पहली बार धरती के इस उपग्रह पर पानी की मौजूदगी के संकेत मिले थे।

भारत का चंद्रयान—2 मिशन सबसे महत्त्वपूर्ण और जटिल इसलिए भी है कि इस यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 'एटकेन बेसिन' नामक जिस स्थान पर उतरना है वहां आज तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा है। मौसम के लिहाज से भी यह स्थान काफी चुनौती भरा है। इसके अलावा चंद्रमा पर धूल के गुबार भी बड़ी समस्या हैं। ऐसे में चंद्रयान—2 के लैंडर और रोवर में जो उपकरण लगे हैं, वे सही से काम करते रहें, वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी चुनौती है।

चंद्रयान—2 मिशन की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसके निर्माण में ज्यादातर योगदान भारतीय संस्थानों और कंपनियों का ही रहा है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ा। रोवर आइआइटी—कानपुर में विकसित किया गया है जिसे पानी और खनिजों के बारे में जानकारी जुटानी है।

चन्द्रयान—2 की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के साथ हर तरह का पूर्ण सहयोग देना है। उसी से प्रोत्साहित होकर भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन—रात कड़ी मेहनत करके समय सीमा में चन्द्रयान—2 को सफलता से आकाश में प्रक्षेपित करने में कामयाबी पाई। पहले ही प्रयास में चन्द्रयान—2 में राकेट का प्रक्षेपण करके भारत ने अमेरिका, रूस, चीन के साथ अपना चौथा नाम दर्ज करा लिया है जो देश की समग्र जनता के लिए गर्व की बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि, साहस, दृढ़ संकल्प की दाद देनी होगी, जो उन्होंने कहा उसे करके दिखाया। जो चन्द्रमा हमारे लिए एक ग्रह—चन्दामामा के रूप में एक मिथक और कल्पना था, अब भारत भी उस पर मनुष्य भेजकर अपनी बस्ती बसाने की इच्छा को पूरा करने में जुटा है। इसके लिए हमारे अन्तरिक्ष वैज्ञानिक भी बधाई के पात्र हैं जो कल्पनाओं को साकार करने में जुटे हैं।

तीन तलाक प्रथा निषेध कानून

मुस्लिम समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक— तलाक— तलाक—तीन बार बोलकर या फोन पर बोलकर उससे छुटकारा पा लेता था, अगर वह उससे दुबारा निकाह करना चाहे तो पहले उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ 'हलाला' करना होगा जिसके आधीन उसे कुछ दिन के लिए उसकी 'बीबी' (पत्नी) बनकर रहना पड़ता था। मुल्ला व मौलवियों की इसमें मौज—मस्ती थी, पर तलाक दी गई मुस्लिम स्त्री की जिन्दगी तो इससे नरक बन जाती थी, साथ ही उसके छोटे—छोटे बच्चों को भी नरकीय जीवन से गुजरना पड़ता था। मुस्लिम धार्मिक कानून— 'शरीयत' के नाम पर हजारों साल से यह तीन तलाक प्रथा चली आ रही थी, जिस पर किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने कानून बनाकर इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं समझी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस तीन तलाक प्रथा पर रोक लगाकर खत्म करने का संकल्प लिया था। इसके लिए उसने कानून बनाने की पहल की थी, पर तीन तलाक निषेध बिल लोकसभा में तो पास हो गया, पर भाजपा (एनडीए) के सदस्यों का राज्यसत्ता में संख्या बल कम होने के कारण यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। पर अब मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने संकल्प को दोहराते हुए इस तीन तलाक निषेध बिल को अपने बल पर लोकसभा से पास करा लिया और फिर अपनी रणनीति के तहत विपक्षी वोटों की एकजुटता खत्म कर इसे उच्च सदन (राज्यसभा) से भी पास कराकर 30 जुलाई, 2019 को इतिहास रच दिया। अब राष्ट्रपति जी की मोहर लगकर यह बिल—तीन तलाक निषेध कानून बन गया। मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ। उसकी दृढ़—इच्छा शक्ति की जीत हुई। करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को अब तीन तलाक प्रथा से छुटकारा मिल गया। अब वे अपने समाज में सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके जी सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। अब वे देश की अन्य महिलाओं की तरह सम्मान की जिन्दगी जी सकेंगी।

यह मोदी जी का साहसिक कदम और दृढ़इच्छा शक्ति ही थी जिसके आधार पर वे तीन तलाक निषेध बिल का दोनों सदनों से पास कराकर कानून बना दिया।

जम्मू—कश्मीर राज्य से धारा 370 खत्म

जम्मू—कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान की धारा 370 के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। इसके अन्तर्गत उसे अपना अलग संविधान, अलग निशान (झंडा) रखने का अधिकार मिला हुआ था। इस संविधान के कारण जम्मू—कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता था।

5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने इतिहास में दर्ज की तारीख राज्यसभा के बाद लोकसभा

में भी बहुमत से धारा 370 हटाने का निर्णय लेकर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब देश में एक विधान होगा। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने जम्मू–कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान की धारा 370 को हटाने का एलान किया। इससे जम्मू–कश्मीर का अलग संविधान को निरस्त कर दिया गया। अब वहां पर भारतीय संविधान लागू होगा और सिर्फ भारतीय तिरंगा झंडा फहरायेगा, इसके साथ ही राज्य का पुनर्गठन करके अब जम्मू–कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया गया है। अब जम्मू–कश्मीर और लद्दाख–दोनों प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश होंगे और अब दिल्ली की तरह वहां उप–राज्यपाल होगा। जम्मू–कश्मीर में विधानसभा होगी, पर लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।

दोनों सदनों से धारा 370 को खत्म करने के संकल्प पत्र को स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अगस्त, 2019 को जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद (धारा) 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की। इससे संवैधानिक रूप से जम्मू–कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया।

15 अगस्त, 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ। उस समय जम्मू–कश्मीर का राजा हरिसिंह था। उसने ही जम्मू–कश्मीर को भारत में विलय का प्रस्ताव किया, पर वहां के नेता जम्मू–कश्मीर को भारत में रहने हुए भी अपने राज्य के लिए विशेष दर्जा चाहते थे। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने उन कश्मीरी नेताओं की बात मानते हुए उन्हें विशेष दर्जा देना स्वीकार कर लिया जबकि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर एवं केन्द्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके विरुद्ध थे पर प्रधानमंत्री नेहरू के भारी दबाव के कारण उन्हें भी धारा 370 के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार होना पड़ा।

इस तरह से पिछले 70 सालों से यह धारा 370 देश के लिए सिरदर्द बनी हुई थी और भारत–पाकिस्तान के बीच इस पर विवाद चलता रहता था। अब नरेन्द्र मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म कर जहां जम्मू–कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ दिया, वहीं उसने बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की बात को भी सम्मान दिया है। अब जम्मू–कश्मीर में देश के लोग जमीन खरीदकर बस सकेंगे, वहीं वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा और दलितों व पिछड़ों को नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोटि–कोटि बधाई।

अब अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों जिन्होंने भारतीय सेना के 52 जवानों का नर संहार किया था, उसका बदला बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया, वहीं पहलगांव पर्यटन के लिए गये 26 सैलानियों को निर्दयता से मारा था तो 22 अप्रैल को 22 मिनटों में पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट कर पाकिस्तान की सेना के घुटने टिकवा दिया। यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़संकल्प और कार्य कुशलता का परिणाम था। इसका सारा श्रेय मोदी जी को जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी जी 17 सितम्बर 2025 को 75 साल के हो गये। उनके 75वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वे स्वस्थ व कार्यशील रहें यही हमारी शुभकामनायें हैं। हमें विश्वास है कि उनके तीसरे कार्यकाल के पूर्ण होने तक भारत विश्व की चौथी ताकत के साथ आर्थिक रूप से भी विश्व की चौथी ताकत बन जायेगा। •

दलितों का आरक्षण और गांधी–अम्बेडकर समझौता–पूना पैक्ट

• आचार्य गुरु प्रसाद

6 दिसम्बर 1930 की गोलमेज कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए जिन भारतीय नेताओं को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने आमंत्रित किया था वे थे निर्दलीय नेता सर तेज बहादुर सत्रू और एम.आर. जयकर। साम्प्रदायिक नेता श्री मुहम्मद अली जिन्ना और श्री बी.एस. मुंजे। रिसायतों के दीवान थे सर रामास्वामी अय्यर और सर मिर्जा इस्माइल, राजा महाराजाओं में थे अलवर, बड़ोद, भोपाल, बीकानेर, काश्मीर और पटियाला के महाराजा, सिक्खों के प्रतिनिधि थे सरदार उज्ज्वल सिंह, भारतीय क्रिश्चियनों के प्रतिनिधि थे श्री के. सी. पाल और पारसियों के प्रतिनिधि थे सर कासव जी जहांगीर। दलितों के प्रतिनिधियों के रूप में डा. भीमराव अम्बेडकर तथा राय बहादुर श्रीनिवासन समेत कोई 89 प्रतिनिधि 4 अक्तूबर, 1930 को बम्बई से पानी के जहाज से लन्दन के लिए रवाना हुए।

12 नवम्बर, 1930 को रस्मी तौर पर ब्रिटिश सम्राट ने भारत को समस्याओं को समझने, विचारने और हल करने के लिए गोलमेज कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री रैम मैकडोनाल्ड को उसका अध्यक्ष चुना गया।

गोलमेज कान्फ्रेंस में डा. अम्बेडकर ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वह निःसन्देह एक ओर तो भारत के दलित, शोषित और वंचित लोगों के लिए स्वतन्त्रता और सम्मान का सूर्योदय था वहीं दूसरी ओर वह ब्रिटिश साम्राज्य के केन्द्र लन्दन में बैठकर उनके ही साम्राज्य के एक अंग भारत में होने वाले दलितों के प्रति दमन, शोषण और अत्याचारों की कटु आलोचना थी। उन्होंने

बताया कि भारत के चार करोड़ दलित (अछूत) जिनकी संख्या इंगलैंड और फ्रांस की पूरी जनसंख्या के बराबर है उनके ही राज्य में उनकी हालत गुलामों से भी ज्यादा बदतर है। भारत के सवर्ण लोग कुत्ते और बिल्ली को तो अपने पास बिठा सकते हैं, गोद में ले सकते हैं, पर वे अछूत की छाया से भी कतराते हैं। डा. अम्बेडकर ने बताया कि भारत में आपके शासन से पूर्व भी दलितों की दशा यही थी और लगभग दो शताब्दियों के अंग्रेजी शासन में भी दलितों के लिए कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ।

डा. अम्बेडकर ने आगे बताया कि दलितों को आज भी मंदिरों में प्रवेश वो दूर उसकी दहलीज तक जाने पर भी प्रतिबन्ध है। यहां तक कि मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के लिए फौज में भी उन्हें भर्ती नहीं किया जाता। भारत का समूचा दलित वर्ग पूंजीपतियों और प्रभावशाली वर्ग के शिकंजों में कसा हुआ है और उसे लगातार सताया जा रहा है किन्तु ब्रितानवी शासन की तरफ से उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। डा. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग की दशा का बखान और उनके शोषण को उजागर करने के सही चित्रण पर इंगलैंड वासी गांधी जी पर फब्तियां कसते थे कि जो दूसरों से अधिकार मांगता है वह स्वयं अपने कमजोर समूह को गुलाम बनाये हुए हैं। इन टिप्पणियों से गांधी जी काफी आहत हुए थे।

पहली गोलमेज कान्फ्रेंस से लौटने के बाद 14 अगस्त, 1931 को गांधी जी की डा. अम्बेडकर से भेंट हुई। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे विचारों को बहुत ध्यान से सुना है पर जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही दलित समस्या पर बहुत विचार किया है। मेरे ही प्रयास से कांग्रेस ने अछूतों की उन्नति के लिए 20 लाख रुपये खर्च किये हैं। (कहना ना होगा कि 4 करोड़ अछूतों के लिए महज 20 लाख रुपये) तब डा. अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ अछूतों की समस्या को गिनाती भर है पर कर्तव्य में निष्क्रिय बनी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे खादी पहनना कांग्रेसी के लिए अनिवार्य है वैसे ही अस्पृश्यता का आचरण न करना भी कांग्रेसी के लिए जरूरी होना चाहिए। बात बात में गांधी जी ने कहा कि मैं अछूतों को हिन्दुओं से अलग कोई राजनैतिक सत्ता नहीं मानता। यहीं से गांधी जी और डा. अम्बेडकर में मत भिन्नता बढ़नी शुरू हुई।

कम्यूनल अवार्ड

दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गई और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री सर रैमजे मैक्डोनल्ड ने दलितों (अछूतों) के लिए एक 'कम्यूनल अवार्ड' की घोषणा कर दी, जिसके अनुसार अछूतों को पृथक निर्वाचन और दो वोटों का अधिकार दे दिया गया। इस अवार्ड की नौवीं धारा में यह व्यवस्था दी गई थी कि दलित वर्ग के लोग दो वोट देने के अधिकारी होंगे अर्थात् वे सामान्य (जनरल) निर्वाचन क्षेत्र में भी अपना वोट दे सकेंगे, साथ ही वे अपने दलित वर्ग के प्रत्याशी को भी अपना दूसरा वोट दे सकेंगे। कम्युनल अवार्ड को एक विशेषता यह भी थी कि अछूत सदस्य का निर्वाचन केवल अछूत मतदाताओं द्वारा ही होना था। इस प्रकार दलितों के वोट से चुने गये दोनों प्रत्याशी जीतकर दलित हितों की दोहरी रक्षा कर सकते थे। इस बात से गांधी जी और उन्हीं की तरह विचार वाले अन्य हिन्दू नेताओं की नींद हराम हो गई थी।

इधर इण्डिया आफिस लायब्रेरी लन्दन के अभिलेखागार के एक दस्तावेज के अनुसार 21 अगस्त, 1932 को डा. अम्बेडकर ने राइट आनरेबल सर सेमुअल हीर, ब्रिटिश सांसद को एक पत्र लिखकर कहा कि अभी ब्रिटिश सरकार अपने शासन काल में भारत के दलितों के प्रति कोई न्यायोचित व्यवहार नहीं कर पाई है। अभी पंजाब के दलितों का बहिष्कार और उन पर हुए अत्याचार को प्रान्तीय सरकार न्याय नहीं दे पाई है। अभी जो 'कम्युनल अवार्ड' को धारा नं. 9 में वर्णित दलितों के लिए विशेष चुनाव क्षेत्र हैं, वे भी मात्र 20 वर्षों के लिए ही रहेंगे। डा. अम्बेडकर ने भय व्यक्त किया कि 20 वर्षों के इस छोटे से अन्तराल में हजारों वर्षों की समस्या का निदान कैसे होगा? वैसे यह 'अवार्ड' अवश्य ही मेरे लिए एक दस्तावेज है। यह मात्र राजनीतिक संरक्षण का ही नहीं, बल्कि अस्पृश्यता का भयानक बुराई को दूर करने की दशा में एक अच्छा कदम है। इस पर भी इस 'कम्यूनल अवार्ड' को नौवीं धारा को ज्यों का त्यों मानने के लिए मैं दलित समाज को बाधित नहीं कर सकता हूं। 20 सालों में यदि उनकी दशा में सुधार नहीं हुआ तो उस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था होगी? यही आशंका है।

वहीं के एक अन्य अभिलेख के अनुसार सर सैमुअल होर ने डा. अम्बेडकर को पत्र लिखा कि 'कम्यूनल अवार्ड' की धारा नौ में जो फैसला ब्रिटिश सरकार ने लिखा है वह सही है। आपकी आशंका भी सही है परन्तु 20 साल बाद विशेष चुनाव क्षेत्रों की समाप्ति तक दलित वर्ग के लोग रिजर्व सीटों के रूप में अपने विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार सुरक्षित रख सकेंगे और दलित जातीय जनों के, उनको उन्नति के साधन भी बरकरार रहेंगे। और तब तक चुनाव प्रणाली के जरिये वे सरकार के निर्णय को भी बदलने में सक्षम हो जायेंगे।

उक्त 'कम्युनल अवार्ड' का गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा घोर विरोध हुआ और 18 सितम्बर, 1932 को गांधी जी द्वारा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को यह निम्नांकित विरोध–पत्र भेजा गया।

'मेरे लिए अब आपके इस 'कम्यूनल अवार्ड' का मुकाबला करने के लिए कोई और विकल्प नहीं रह गया है सिवाय इसके कि मैं अपना जीवन बलिदान कर दूं और निराहार प्राण त्याग दूं। इस दौरान मैं सिर्फ पानी ही पीऊंगा। अछूतों के पृथक चुनाव के विरूद्ध मेरा यह व्रत 20 सितम्बर, 1932 से

प्रारम्भ हो जायेगा। इस पर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट उत्तर दिया कि इस निर्णय को तो अब केवल दलित (अछूत) ही ले सकते हैं कि यह व्यवस्था उन्हें मान्य है या नहीं? बस 20 सितम्बर, 1932 को गांधी जी ने यर्वदा जेल पूना में अपना अनशन आरम्भ कर दिया। दलित समुदाय ने गांधी जी के इस दुराग्रहपूर्ण अनशन की घोर निन्दा की। डा. अम्बेडकर को अनेक धमकी भरे पत्र मिलने लगे, पर उन्होंने कहा कि गांधी जी कोई नैतिक लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, केवल राजनैतिक वितंड़ा फैला रहे हैं। मैं पृथक चुनाव के अधिकार को नहीं छोडूंगा भले ही स्थिति बिगड़ती है तो बिगड़े।

जब धमकियां बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर को नहीं झुका सकीं तो गांधी जी की ओर से ठोस बातचीत और समझौता वार्ता का दौर शुरू हुआ। गांधी जी का अनशन पांच दिन हो गया था। गांधी जी को पत्नी कस्तूरबा जी ने डा. अम्बेडकर के सामने आंचल फैलाकर धर्म और मानवता के नाम पर अपने पति के प्राणों की दुहाई दी। गांधी जी के पुत्र श्री देवदास गांधी नेता अपने पिता की जान बचाने के लिए बिलख–बिलख कर रोना शुरू कर दिया। गांधी जी ने डा. अम्बेडकर से जो कहा वह बड़ा मामिक है– 'डा. अम्बेडकर' ! मेरे प्राण बचा लो। हिन्दुओं को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अन्तिम अवसर और दे दो। हम छुआछूत का निशान तक मिटा देंगे। बहुत सोच विचार कर डा. अम्बेडकर, गांधी जी और अन्य हिन्दू नेताओं के साथ सन्धि के लिए प्रस्तुत हो गये और पूना पैक्ट की भूमिका तैयार हो गई।

पूना पैक्ट

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में रखे पूना पैक्ट दस्तावेज संख्या 08734 दिनांक 24 सितम्बर, 1932 के अनुसार निम्नांकित सन्धि दलित वर्ग के नेताओं और शेष हिन्दू समाज के बीच प्रान्तीय विधान सभाओं में दलितों के प्रतिनिधित्व तथा उनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित विषयों पर आधारित है।

1. ग्राम चुनाव की सीटों में से प्रान्तीय विधान सभाओं में अछूतों के लिए निम्नलिखित सीटें सुरक्षित की जायेंगी।

प्रान्त	**सुरक्षित सीटों की संख्या**
मद्रास	30
बम्बई (सिन्ध सहित)	15
पंजाब	8
बिहार– उड़ीसा	21
मध्य प्रान्त	20
असम	7
बंगाल	30
उत्तर प्रदेश	20
योग	**151**

2. इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन द्वारा इस प्रकार होगा। आम चुनाव में अछूत जातियों को मत देने वाले लोग प्रत्येक सुरक्षित सीट से चार–चार व्यक्तियों को चुनेंगे। इनको चुनने के लिए मतदाता चारों में से एक की अपना एकाकी मतदान कर सकेंगे। इस प्रारम्भिक चुनाव में जो थाने–माने क्षेत्र में सर्वाधिक वोट पायेंगे वे लोग ही ग्राम चुनाव में उम्मीदवार होंगे।

3. केन्द्रीय विधान सभा के लिए अछूतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संयुक्त चुनाव प्रणाली द्वारा होगा जैसा कि प्रान्तीय विधान सभाओं के लिए है।

4. केन्द्रीय विधान सभा में ग्राम चुनाव की 18 प्रतिशत सीटें दलित जातियों के लिए सुरक्षित रहेंगी।

5. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओं के लिए प्रायमरी चुनाव का तरीका पहले 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा। यह तरीका नीचे लिखे क्रम संख्या 6 के अनुसार आपसी समझौते द्वारा पहले भी बदला जा सकता है।

6. केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभाओं में अछूतों को सुरक्षित सीटों द्वारा प्रतिनिधित्व देने का तरीका, जैसा कि क्रम संख्या 1 और 4 में अंकित है, जारी रहेगा जब तक कि सम्बन्धित समुदाय इसे आपसी समझौते के द्वारा समाप्त नहीं करते।

7. अछूतों के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभाओं के लिए वोट का अधिकार लोथियन कमेटी के निर्णय के अनुसार होगा।

8. अछूत जाति का होने के नाते कोई भी व्यक्ति म्युनिसिपल या जिला बोर्डों के चुनाव, किसी सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए योग्य करार नहीं दिया जायेगा। इनमें निर्धारित शिक्षा के अनुसार अछूतों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।

9. हर प्रान्त में शिक्षा के लिए जो राशि निर्धारित की जायेगी उसमें से पर्याप्त धनराशि अछूतों की शिक्षा के लिए अलग निकाल कर रखी जायेगी।

इस पूना समझौते (पूना पैक्ट) पर जिन लोगों से हस्ताक्षर कराये गये उनमें सबसे पहले थे डा. भीमराव अम्बेडकर और पं. मदन मोहन मालवीय। इनके अतिरिक्त 17 और व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के समक्ष हस्ताक्षर किये। बाकी हस्ताक्षर बम्बई जाकर कराये गये। मजे की बात यह हैं कि इस दस्तावेज पर, दलितों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह दस्तावेज 24 सितम्बर, 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। जल्दबाजी में गांधी जी की प्राण रक्षा के लिए लिखे गये इस दस्तावेज में कुछ कमियां रह गई थीं जिनके लिए डा. अम्बेडकर ने 19–4–33 को (देखिये राष्ट्रीय अभिलेखागार–अभिलेख संख्या 20993/102) गांधी जी के नाम एक पत्र पूना पैक्ट के पुनर्निरीक्षण के लिए लिखा और

कहा कि वे 24–4–33 को लन्दन जाने से पूर्व पैनल प्रणाली पर उनसे बातचीत करना चाहते हैं किन्तु अभिलेख से स्पष्ट है कि गांधी जी ने उन्हें समय नहीं दिया बल्कि उन्होंने श्री एम. आर. जयकर को एक पत्र लिखा (देखिये अभिलेख क्रमांक 21072/154 को) डा. अम्बेडकर पैनल सिस्टम पर बात करके पूना पैक्ट में कुछ परिवर्तन चाहते हैं जो उनकी राय में ठीक नहीं है।

इस पत्र की कापी गांधी जी ने सर तेज बहादुर सप्रू को भी भेजी। फिर डा. अम्बेडकर को गांधी ने 27–4–33 को पत्र लिखा (देखिये अभिलेख 21074/155) कि आपके पैनल सिस्टम पर बदलाव चाहने वाले इस मसले को मैं अपनी तरफ से कोई जवाब न देकर जनता के सामने रखना चाहता हूं। अर्थात् पूना पैक्ट अब समाज के नेताओं के सामने से हटा कर जनता का विषय बना दिया गया। जो होना था वही हुआ–बात आई गई हो गई परन्तु इससे गांधी जी की नीयत और नीति जरूर स्पष्ट हो गई।

संविधान निर्माण सभा में अम्बेडकर के प्रवेश में अडंगा

सन् 1946 में जब भारत में एक अन्तरिम सरकार की घोषणा की गई तो सब पार्टियों ने अपने अपने प्रतिनिधि विधान सभा के माध्यम से चुनकर कान्सटीचूएट एसेम्बली में भेजे, तब कांग्रेस ने गांधी जो के इशारे पर बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अपने द्वार बन्द कर लिए। दलितों की इस संकट की घड़ी में बंगाल के मुसलमानों ने मदद करके बाबा साहब को कांस्टीचुएन्ट एसेम्बली में चुनकर भेज दिया और बाबा साहब अपनी अपूर्व योग्यता के कारण 'संविधान निर्मात्री सभा' के अध्यक्ष बने। अन्य सदस्य एक एक करके किनारा कर गये तो सम्पूर्ण संविधान की रचना का भार उन पर ही पड़ गया। कांग्रेस जहां बीकानेर के महाराजा और राजा महेन्द्र प्रताप जैसे लोगों के सामने अपने उम्मीदवार न खड़े करके उन्हें जिताने का प्रयास करती थी वहीं बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराने के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करके दो बार अपनी नीति और नियत का परिचय दिया।

आज 'पूना पैक्ट' पर पुनर्विचार का समय आ गया है क्योंकि आजादी के पचास सालों के उपरान्त हम पाते हैं कि गांधी जी ने जो बाबा साहब को यह कहकर कि वे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके हिन्दू समाज को अपने अस्पृश्यता आदि आचरणों के पापों को धो लेने का एक अवसर प्रदान और कर दे, बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने तो उन्हें अवसर प्रदान कर दिया पर उस अवसर देने के 93 साल बाद आज भी अस्पृश्यता के काले बादल भारत के सुदूर ग्रामों में तो क्या शहरों के आस पास भी मंडराते नजर आ रहे हैं।

बेलछी से कुम्हेर तक के काण्ड सवर्ण मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। आज भी एक प्रबोध छात्रा की आंख महज इसलिए फोड़ दी जाती है क्योंकि उसने सवर्ण हिन्दुओं के लिए रखे गये पानी के पात्र से पानी पी लिया था। आज भी राजस्थान के सिरोही जिले में दलितों की हजामत हिन्दुओं के नाई नहीं बनाते। आज भी अलवर जिले में दलितों के दुल्हे घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकते। आज भी पानी के लिए दलितों को तरसना पड़ता है। आज भी उत्तरांचल में दलितों का हिन्दू दूध इसलिए नहीं देते क्योंकि एक मान्यता के अनुसार उनकी गाय का दूध सूख जायेगा। आज हरियाणा के कैथल क्षेत्र में और राजस्थान के बूंदों, बारां झालवाड़ और कोटा क्षेत्र में दलितों की जमीनें छीनी जा रही हैं। खेतों में काम करने पर उचित मजदूरी नहीं दी जा रही। आज भी सरकारी नौकरियों में तरह तरह से तंग किया जा रहा है। आज भी दलितों को ढेड़ जैसे घृणित शब्दों से सम्बोधन किया जाता है। उनकी सुरक्षित नोकरियों को असुरक्षित बनाने की साजिश की जा रही है। विभिन्न पार्टियों के दलित विधायकों और सांसदों को स्थिति ऐसी बना दी गई है कि वे पार्टी के खिलाफ दलित हितों में अपनी स्पष्ट राय जाहिर नहीं कर सकते। अतः अब हमें अपनी स्थिति और परिस्थिति पर एक बार फिर गौर करना होगा। 'पूना पैक्ट' का पुननिरीक्षण करना होगा।

आज हमें देखना होगा कि भारत का विश्वीकरण करने के बहाने जो उदारीकरण किया जा रहा है उसमें विदेशी कम्पनियों को व्यापार करने की छूट के बहाने दलितों के लिए नौकरियों में आरक्षण के अवसर समाप्त किये जा रहे हैं। वर्तमान आरक्षण नीति तथा आरक्षण में वैकलाग की पूर्ति के लिए, दलितों पर सतत अत्याचारों के प्रति जागरूक होकर हमें फिर पृथक निर्वाचन और सभी प्रकार की सेवाओं, (सरकारी, अर्ध–सरकारों, सेना, अध सैनिक बलों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी व निजी क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, भारत स्थिति विदेशी कम्पनियों आदि) में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा।•

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र पढ़ें और आगे बढ़ें।

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ◻ सह सम्पादक एवं व्यवस्थापक - जय सुमनाक्षर, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009